संख्या–724 ई–1/तेरह–2010–499 (2)/2008 टी0सी0–।

प्रेषक,

याद अली,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उ0प्र0,इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक 28 अप्रैल, 2010

विषयः आबकारी विभाग का सशक्तीकरण एवं सुदृढ़ीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–110/2/पी0एस0/सुदृढ़ीकरण/ 2010–11 दिनांक 23 अप्रैल, 2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय आबकारी विभाग के सशक्तीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिये निम्नलिखित अस्थायी पदों को उनके सम्मुख उल्लिखित वेतनमान में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अथवा इस आदेश के जारी होने की तिथि से, जो भी बाद में हो, दिनांक 28 फरवरी, 2011 तक के लिये सृजित किये जाने के लिये सहर्ष स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान करते हैं कि उक्त पद बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त किये जा सकते हैं:–

क्रमांक	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनबैण्ड/ग्रेड वेतन		अभ्युक्ति
1	संयुक्त आबकारी आयुक्त	01	15,600–39100	7600	प्रस्तावित गोरखपुर जोन हेतु
2	उप आबकारी आयुक्त	01	15,600–39100	6600	ई0आई0बी0
3	सहायक आबकारी आयुक्त	35	15,600–39100	5400	
4	आबकारी निरीक्षक	220	9300–34800	4200	
5	उप आबकारी निरीक्षक	90	5200–20200	1900	
6	प्रधान आबकारी सिपाही	244	5200–20200	1900	
7	आबकारी सिपाही	643	5200–20200	1800	
8	वरिष्ठ लिपिक	01	5200–20200	2400	
9	कनिष्ठ लिपिक	100	5200–20200	1900	
10	आशुलिपिक श्रेणी–3	02	5200–20200	2400	
11	वाहन चालक	02	5200–20200	1900	
12	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	73	4400–7440	1300	

2– एक हार्डवेयर इंजीनियर, एक साफ्टवेयर इंजीनियर/सर्वर मैनेजर तथा एक सौ अस्सी कम्प्यूटर आपरेटर की सेवायें संविदा पर प्राप्त की जा सकेंगी।

3– उपर्युक्त तालिका में अंकित पद धारकों को शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अधीन वेतन, मंहगाई भत्ते तथा अन्य भत्ते, जो भी अनुमन्य हों, देय होंगे।

4– उपर्युक्त पद आबकारी विभाग में सम्बन्धित संवर्ग में अस्थायी वृद्धि माने जायेंगे।

---2

5— उपर्युक्त प्रस्तर–1 पर अंकित तालिका में उल्लिखित पदों के सृजन के फलस्वरूप होने वाला व्यय भार चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के अनुदान सं0–01 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2039–राज्य उत्पाद शुल्क आयोजनेत्तर–001 निदेशन तथा प्रशासन–03 अधीक्षण की सुसंगत इकाइयों और 05–भट्ठियां की सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

6— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या ई–9–219/दस–2010, दिनांक 28 अप्रैल, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(याद अली)
उप सचिव

संख्या–724 (1) ई–1/तेरह–2010–499 (2)/2008–दिनांक 28 अप्रैल, 2010

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1— महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2— वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1/2
3— वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–9
4— वित्त (सामान्य) अनुभाग–1
5— वेतन (वेतन आयोग) अनुभाग–1 व 2
6— समीक्षा अधिकारी, बजट।
7— गार्ड फाइल, आबकारी अनुभाग–1

आज्ञा से

(याद अली)
उप सचिव।